



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/404

01/08/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत-यूके सीईटीए के अंतर्गत उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियमों के लिए इनपुट के संबंध में

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यूके सीईटीए के तहत निर्धारित उत्पाद विशिष्ट मूल नियमों पर निर्यातकों से टिप्पणियां/प्रतिक्रिया/सुझाव मांगे हैं।

मूल नियम घरेलू मूल्य संवर्धन की शर्तें हैं जिन्हें इस व्यापार समझौते के तहत शुल्क लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यातकों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

ये नियम आयातित इनपुट के अधिकतम स्वीकार्य मूल्य, स्थानीय मूल्य संवर्धन के न्यूनतम स्तर और समझौते के तहत शुल्क लाभ प्राप्त करने के लिए टैरिफ उपशीर्षक (सीटीएसएच) में परिवर्तन या टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) में परिवर्तन जैसी शर्तों को निर्दिष्ट करते हैं।

निम्नलिखित तालिका प्लेक्सकौन्सिल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों के लिए लागू उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियम प्रदान करती है, साथ ही भारत से ब्रिटेन को निर्यात, विश्व को निर्यात और अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर प्रासंगिक डेटा भी प्रदान करती है।

प्लेक्सकॉन्सिल उत्पादों के अध्यायों के लिए PSR					
एचएस अध्याय/कोड	एचएस पर उत्पादों की संख्या 6-अंकीय	यूके को निर्यात	विश्व को निर्यात	अप्रयुक्त निर्यात क्षमता	उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियम
		मिलियन अमेरिकी डॉलर; वर्ष 2024			

अध्याय 39	131	265.0	8099.1	6756.9	सीटीएसएच; या रासायनिक प्रतिक्रिया
अध्याय 42, 54, 56, 59, 62, 63, 65, 94, 95	24	160.0	2500.8	1032.0	सीटीएच और मानक क्यूवीसी
अध्याय 37	20	0.1	8.8	8.7	सीटीएच शीर्षक 3701, 3702 और 3703 से गैर-उत्पत्ति सामग्री को छोड़कर; या रासायनिक प्रतिक्रिया
अध्याय 85	3	8.0	284.6	277.0	सीटीएच; और मानक क्यूवीसी
अध्याय 90, 96, 48, 85, 65, 67	37	151.7	3094.5	1681.7	सीटीएसएच और मानक क्यूवीसी
अध्याय 32	6	25.2	1333.9	248.7	सीटीएसएच; और मानक क्यूवीसी; या रासायनिक प्रतिक्रिया
अध्याय 05	1	0.3	188.8	0.3	पूर्णतः स्वाधिकृत
कुल (सभी प्लास्टिक उत्पाद))	222	610.0	15510.4	10005.0	
स्रोत: आईटीसी ट्रेडमार्क; भारत-यूके सीईटीए दस्तावेज़; प्लेक्सकॉन्सिल द्वारा संकलित					

भारत-यूके सीईटीए के अंतर्गत उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संलग्न अनुलग्नक देखें।

हम इन उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति नियमों पर आपकी बहुमूल्य टिप्पणियां/प्रतिक्रिया चाहते हैं ताकि हम उन्हें संकलित कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेज सकें।

आपके इनपुट से सरकार को इन नियमों के अनुपालन से संबंधित किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों या चिंताओं को समझने में मदद मिलेगी और हम 5 अगस्त 2025 तक आपसे सुनने की उम्मीद करते हैं।

यदि आपको किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, तो कृपया बेझिझक bharti@plexconcil.org ; research@plexconcil.org पर संपर्क करें।

सादर,

भारती परावे

उप निदेशक - व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद